



# मध्यप्रदेश राज्य रोजगार गारंटी परिषद्, भोपाल

(पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के अधीन पंजीकृत संस्था)

द्वितीय तल, नर्मदा भवन, अरेरा हिल्स, भोपाल - 462011

क्रमांक / 4713 / NS145NR3/NR-10/MGNREGA-MP/2016

दिनांक : 20/05/2016

प्रति,

1. कलेक्टर/जिला कार्यक्रम समन्वयक,
2. मुख्य कार्यपालन अधिकारी/अतिरिक्त कार्यक्रम समन्वयक,  
महात्मा गाँधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम-म.प्र.,  
जिला- समस्त (म.प्र)


**विषय:-** महात्मा गाँधी नरेगा अंतर्गत लाईन विभागों के प्रथम एवं द्वितीय सिग्नेटरी द्वारा एफटीओ के लिये पासवर्ड उपलब्ध कराने के संबंध में।

**संदर्भ:-** म.प्र. शासन का पत्र क्र. क्रमांक / 235/NS 145 Tech/NR-10/MGNREGA-MP/15, दिनांक 08/01/16  
परिषद का पत्र क्र./4688/NS145NR3/NR-10/MGNREGA-MP/2016, दिनांक : 17/05/2016

—00—

उपरोक्त विषयांतर्गत लेख है कि महात्मा गाँधी नरेगा अंतर्गत संदर्भित आदेश में शासकीय विभागों जैसे- वन विभाग, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा, उद्यानिकी विभाग एवं रेशम विभाग के सक्षम अधिकारियों को कार्यक्रम अधिकारी के रूप में मस्टररोल जारी करने के अधिकार दिये गये थे तथा संबंधित शासकीय विभागों द्वारा क्रियान्वित कार्यों पर नरेगा सॉफ्ट के माध्यम से डिजिटल सिग्नेचर का उपयोग करते हुये एफटीओ (फण्ड ट्रांसफर आर्डर) के माध्यम से मजदूरी एवं सामग्री भुगतान करने हेतु प्रथम सिग्नेटरी (लेखाधिकारी/सहा. लेखाधिकारी/लेखापाल) एवं द्वितीय सिग्नेटरी (संबंधित क्रियान्वयन एजेंसी के बीडीओ जनपद पंचायत के बैंक से कम नहीं) के प्रत्येक विभाग के पासवर्ड अलग-अलग शीलबंद लिफाफे में उपलब्ध कराये जाने हैं। उक्त लिफाफे गोपनीय हैं।

अतः उपरोक्तानुसार महात्मा गाँधी नरेगा अंतर्गत संदर्भित आदेश में शासकीय विभागों जैसे- वन विभाग, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा, उद्यानिकी विभाग एवं रेशम विभाग के पासवर्ड शीलबंद लिफाफे में प्राप्त करने हेतु जिला कलेक्टर द्वारा अधिकृत अधिकारी/कर्मचारी को परिषद मुख्यालय में उपस्थित होने हेतु निर्देशित करने का कष्ट करें।

  
( रघुराज राजेन्द्रन )  
आयुक्त  
म.प्र.राज्य रोजगार गारंटी परिषद्,  
भोपाल